

Date: - 4th June, 2024

BSE Ltd.	National Stock Exchange of India Ltd.
Regd. Office: Floor - 25,	Listing Deptt., Exchange Plaza,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Dalal Street, Mumbai-400 001.	Mumbai - 400 051
BSE Scrip Code: 543300	NSE Scrip: SONACOMS

### **SUBJECT: - SUBMISSION OF NEWSPAPER CLIPPINGS**

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI, we hereby enclose copies of the newspaper notice for the attention of the Equity Shareholders of the Company published on 4<sup>th</sup> June, 2024 in Business Standard (English and Hindi) newspapers in respect of information regarding 28<sup>th</sup> Annual General Meeting scheduled to be held on Friday, 28<sup>th</sup> June, 2024 at 12.00 Noon (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM).

This is for your information and record.

Thanking you,

For SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED

Ajay Pratap Singh
Vice President (Legal), Company Secretary and Compliance Officer

Enclosed: as above

TP CENTRAL ODISHA DISTRIBUTION LIMITED

**Tender Description** 

One Year Rate contract for Supply of GI Earthing Coil & G

A Joint Venture of Tata Power and Govt. of Odisha,

1st Floor, Anuj Building, Plot No.29, Satya Nagar,

switchgear Construction/operation for 02 Years

One Year Rate contract for Supply of GI Flats

Bhubaneswar, Odisha - 751007

NOTICE INVITING TENDER NIT No: TPCODL/P&S/NIT/24-25/07

TPCODL/P&S/1000000718/2024-25 Provide technicians on monthly basis for RMU, Cable &

Earthing Pipe

For more details like bid due date, EMD, tender fee, bid opening date etc. of the Tenders, please

visit "Tender" section at TPCODL website https://www.tpcentralodisha.com. All tenders will be

available on TPCODL website w.e.f. from dtd. 04.06.2024. Future communication / corrigendum

Bids are invited from eligible Bidders for the following tenders of TPCODL:

TPCODL/P&S/1000000723/2024-25 SITC Work of 1 no 33/11 KV E-House

to tender documents, if any, shall be available on TPCODL website.

# SMALL IT IS, **FOR NOW**



fter the onset of economic liberalisation in 1991, a new generation of private sector banks took shape. The most Bank and HDFC Bank, both of which were incorporated in 1994. However, while the Reserve Bank of India (RBI)

aspiring entrants had to wait for the RBI to open the licensing window. One could only apply when the window opened, which it did once in the early 2000s, when Kotak Mahindra Bank and Ves Bank received licences and again in the last decade, when Bandhan and IDFC became banks.

On August 1, 2016, the banking regulator decided to put the licensing process on tap. Later, the licensing of small finance banks (SFBs) was also made on tap. One no longer had to wait for the opening of the window and could apply whenever.

This promised to change much.

Since the licensing process was put on tap, not a single universal bank licence has been granted. There have been only six applications, five of which were not found suitable. The sixth applicant is Bhubaneswar-based Annapurna Finance. Some experts point out that it is the lesser-known, smaller entities that are showing

Therefore, the second catch.



group was formed by the RBI to review ownership and corporate structure of

private banks in India. The group sug-

trial houses be allowed as promoters of

banks. The regulator has not accepted

this yet. So, as of now, the Ambanis,

Adanis, Birlas, and Mahindras of the

Against this backdrop, on April 28

rules for voluntary conversion of SFBs

SFBs, their track records, govern-

ance, and promoters are known to the

world are not allowed to promote a

this year, the RBI announced new

into universal banks, rekindling

regulator. Of the private universal

banking licences issued so far, only

Yes Bank was a greenfield bank. All

others were already financial entities

known to the RBI one way or another.

And that brings us to the third

Small finance banks, or SFBs, are

meant to serve the marginalised sec-

tions of society, such as small busi-

nesses and low-income households.

ing savings accounts, fixed deposits,

debit cards. Unlike universal banks,

SFBs cannot provide wealth manage-

issued in 2015. Of the 10, Fincare

merged with AU SFB, which is the

largest SFB in the country. Later,

another two entities received fresh

licences to become SFBs - Unity and

Shivalik — taking the number of SFBs

and other high-end services.

ment, corporate banking, credit cards.

Ten in-principle SFB licences were

through basic banking services, includ-

recurring deposits, digital banking, and

Known and unknown

commercial bank.

gested that large corporate or indus-

Most SFBs have done well to fulfil their mandate so far, despite the challenges presented by the demonetisation and Covid-19 pandemic, which were harsh on the bottom-of-the-pyramid segment served by SFBs.

The geographical concentration of SFBs - measured by the Herfindahl-Hirschman Index (HHI) - has been coming down in terms of both number of reporting offices as well as credit and deposits. This indicates progressive diversification and increasing outreach of SFBs in line with their mandate of serving the marginalised sections," the RBI Trend and Progress report of 2022-23 said.

Many believe the SFBs are best placed to become universal banks The RBI's recent glide path norms for SFBs' voluntary conversion should be seen in this light, according to the CEO of a small finance bank. But it is not that simple. The first criterion for an SFB to become a universal bank, according to the recent norms, is "satisfactory track record of performance for a minimum period of five years." Only nine of the 11 SFBs have completed five years of operations, of which one was in trouble with capital erosion, prompting merger with a fintech company last year.

Of the remaining eight SFBs, only two are eligible to apply to become a universal bank, as of now. This is because the norms say SFBs should have gross non-performing assets (NPA) and net NPA of less than or equal to 3 per cent and 1 per cent. respectively, in the last two financial years.

Only AU and Ujjivan meet the NPA criteria for FY23 and FY24. Jana, Suryoday, and Urkarsh met the gross and net NPA criteria for one year: FY24. In case they maintain the gross NPA and net NPA below the prescribed marks in the current financial year (FY25), they will become eligible.

Bengaluru-based Jana SFB's MD & CEO, Ajay Kanwal, says the lender will apply in the next financial year, after it meets the NPA parameters this year.

'We are short by one year. Our net NPA [ratio] this year is 0.5 per cent. We have to keep it at less than 1 per cent for one more year. After that we will apply. We plan to apply in FY26," Kanwal said in an interaction with Business Standard after the norms were announced.

The two eligible SFBs, AU and Uijivan, have taken a cautious stance. AU has recently completed a merger with Fincare, and its immediate priority may be to see a smooth integra-

Ujjivan, will see a change of guard next month, as MD and CEO Ittira Davis has decided to take early retirement. Davis told Business Standard last month the bank had just completed the reverse merger and was not in a rush.

'The board will consider the timeframe for a conversion to universal bank during this financial year," Davis

Like Jana, Navi Mumbai-based Suryoday SFB, too, expects to become eligible in FY25. However, its MD & CEO, R Baskar Babu, makes it clear that there is no hurry.

'We have a long way to go even as a small finance bank, both in terms of size, and in terms of fulfilling our aspirations for financial inclusion," Babu

Though the RBI conversion norms are clear — as it talks about the numbers needed to achieve for becoming eligible—there is one area where more clarity may be needed.

#### Into the unknown

"The eligible SFBs having diversified loan portfolios will be preferred," the

Eight of the 10 SFBs that received the licence in 2015 were converted from microfinance institutions. As a result, some of these players' loan book is still tilted toward micro loans — which are unsecured in nature. The pace of diversification varied from one bank to another. This unknown element, that is, how much of a diversified loan portfolio the regulator will prefer, is the question many SFBs

As the chief executive of an SFB puts it: "Everyone is waiting for someone else to apply and see how it goes."

The fear of rejection is real. Except NE SFB, all the ones who received licences in 2015 are listed on the exchanges. SFBs and payments banks were test cases, the former has succeeded.

However, the regulator cannot take chances with new bank licences. Yes Bank was on the brink of collapse a few years back, prompting the government to intervene and revive it. SFBs are aware that no new universal bank licences have been granted in the last 10 years.

Moreover, there has been a entities are to be treated. Monetary penalties are passé. Business restrictions are a reality. That could be yet another catch.

## **SONA COMSTAR**

**TPCØDL** 

**TP CENTRAL ODISHA** 

DISTRIBUTION LIMITED

Tender Enquiry No.

TPCODL/P&S/1000000722/2024-25

TPCODL/P&S/1000000738/2024-25

SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED

CIN: L27300HR1995PLC083037 Registered and Corporate Office: Sona Enclave, Village Begumpur Khatola, Sector 35,

Gurugram, Haryana - 122004, India Telephone: +91 124 476 8200

E-mail: investor@sonacomstar.com, Website: www.sonacomstar.com

NFORMATION REGARDING 28TH ANNUAL GENERAL MEETING OF SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED AND FINAL DIVIDEND

Members may note that 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be convened on Friday, 28th June, 2024 at 12:00 Noon (IST), through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with ules framed thereunder and the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations 2015 and in accordance with the circulars dated 25th September, 2023, 28th December, 2022, 5th May 2022, 14th December, 2021 read with circulars dated 13th January, 2021, 5th May, 2020, 8th April 2020 and 13th April, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circulars dated 7th October, 2023, 5th January, 2023, 13th May, 2022 read with 15th January, 2021 and 12th May, 2020 Securities and Exchange Board of India (SEBI) (collectively referred to as Circulars") permitting of holding of the AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the members at a common venue till **30th September, 2024**. In accordance with the same, the 28th AGM of the Company is being held through VC / OAVM and members will be able to attend the proceedings of e-AGM through VC/ OAVM at https://www.evoting.nsdl.com./. The deemed venue for the 28th AGM of the Company shall be at the Registered Office of the Company.

n compliance with the above Circulars, the electronic copies of the Notice of 28th AGM and Annual Report 2023-24 will be sent only by email to those members of the Company, whose email address are registered with the Company/ Depository Participant(s) in accordance with the aforesaid Circulars. lembers may take note that the aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.sonacomstar.com, website of BSE Limited at <u>www.bseindia.com</u> and website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Members can attend and participate in the 28th AGM of the Company through the VC/OAVM facility only. The Instructions for joining the 28th AGM of the Company and manner of participation in remote evoting or casting vote through the e-voting system during the 28th AGM are provided in the Notice of 28th AGM. Members participation in the AGM through OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members may also note that the Board of Directors at their meeting held on 30th April, 2024 has recommended the payment of INR 1.53 (Indian rupee one and fifty three paisa) per Equity Share of the Company having face value of INR 10 each as Final Dividend for the Financial Year ended on 31st March, 2024, to the shareholders of the Company. The Final Dividend, once declared by the shareholders in the ensuing AGM of the Company will be paid to only those shareholders whose names appear in the register of members /list of beneficial owners as on Cut off date i.e. Friday, 14th June **2024.** Members holding shares in dematerialised form may please note that bank details as furnished by the respective depositories will be used for the purpose of distribution of dividend to members. For members who have not updated their bank account details, dividend warrants / demand drafts / cheques will be sent out to their registered addresses. To avoid delay in receiving dividend, members are equested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialised mode) and with the Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA") (where shares are held in physical mode) by providing the signed Form ISR-1 which is available on the website of the Company at https://sonacomstar.com/investor-relations. The Company or the RTA will not act on any direct request rom such members for change/deletion in bank details except by submitting the form specified.

Manner of registering / updating email addresses/Electronic Bank Mandate:

- A) Manner of registering / updating email addresses for members holding shares in physical mode: Members holding shares in physical mode who have not registered/ updated their emai addresses with the Company, are requested to register/ update the same by providing the signed Form ISR-1 to Company's RTA. Members can also write to the Company/RTA at <a href="mailto:investor@sonacomstar.com">investor@sonacomstar.com</a> / <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a> respectively along with the copy of signed Form ISR-1 mentioning all the details including Folio Number, name and address of the Member, Permanent Account Number (PAN), Email address, Mobile Number etc.
- Manner of registering/ updating Electronic Bank Mandate for members holding shares in physical mode: Members holding shares in physical mode who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank account(s) on payout date through Electronic Services or any other means (""Electronic Bank Mandate""), can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly into their Bank Account electronically, by sending the signed Form ISR-1 to Company/RTA along with the following details/document by email to investor@sonacomstar.com / einward.ris@kfintech.com respectively;i) Name and branch of Bank in which dividend is to be received and bank account type;ii) Bank Account Number allotted by your Bank after implementation of core banking solutions;iii) 11 digit IFSC Code; andiv) Self attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the members or the first holder, in case shares are held jointly.
- Manner of registering / updating email addresses/Electronic Bank Mandate for members holding shares in dematerialised mode: Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/ update their email addresses/Electronic Bank Mandate by contacting their

Shareholders may note that pursuant to changes in the Income Tax Act, 1961 (IT Act), as amended by he Finance Act, 2020, dividend Income is taxable in the hands of shareholders and the Company is required to deduct Tax at Source (TDS) at the time of making the payment or distribution of dividend to the shareholders at the prescribed rates. Tax shall be deducted at source @10% for resident shareholders with valid PAN and @ 20% for resident shareholders without PAN or invalid PAN (as per Section 206AA of the IT Act). However, no TDS shall be deducted on the dividend payable to resident individuals, if the total dividend to be received by them during Financial Year 2023-24 does not exceed NR. 5,000. Further, the TDS rate of 10% is subject to provisions of Section 206AB of the IT Act (effective from 1st July, 2021) which introduces special provisions for TDS in respect of non-filers of income-tax returns. As provided in Section 206AB of the IT Act, tax is required to be deducted at the higher rates in case of payments to "specified persons"

The term "specified person", as defined in Section 206AB of the Act means a person who has not filed the eturns of income for both of the two assessment years relevant to the two previous years immediately orior to the previous year in which tax is required to be deducted for which the time limit of filing the returr of income under sub-section (1) of Section 139 has expired; and the aggregate of the tax deducted at source and the tax collected at source in his/her case is INR 50,000 or more, in each of these two

Any eligible shareholder who wishes to avail the benefit of non-deduction of the tax at source or tax eduction at the beneficial tax rate is required to upload below mentioned declarations and form to https://ris.kfintech.com/form15/forms.aspx?q=0 on or before friday, 14th June, 2024. For more details members are requested to refer to the ITAct and Notice of the 28th AGM.

Yearly declaration in Form no. 15G/15H

lon-Resident hareholder*	<ul> <li>Copy of Tax Residency Certificate for Financial Year 2024-25 obtained from the tax authorities of the Country of which a shareholder is resident;</li> </ul>
	<ul> <li>No Permanent Establishment declaration, and Beneficial Ownership declaration;</li> </ul>
	Self Declaration in electronic Form 10F;
	<ul> <li>Self-attested Copy of Permanent Account Number;</li> </ul>

Resident Individual

Date: 03th June, 2024

sona

SONA

Application of beneficial tax rate shall depend upon the completeness of the documents submitted by he Non-resident shareholders and subject to review to the satisfaction of the Company. Shareholders can download the abovementioned declarations and forms from the website of the Company at

• Any other document which may be required to avail tax treaty benefits

https://sonacomstar.com/investor/corporate-announcements The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company nd is in consonance with the circulars issue by MCA and SEBI from time to time

For and on behalf of the Board of Directors of SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED

Ajay Pratap Singh Group General Counsel, Company Secretary and Compliance Officer M.No. F5253

Place: Gurugram

**SONA BLW** 

**SONA COMSTAR** 





Why small finance banks are in no hurry to become universal banks

prominent among them are ICICI it has been a story of fits and starts, has taken its time to issue universal bank licences

Till the middle of the last decade,


But there is a catch. Or two. Or three.

interest in universal bank licenses.

In June 2020, an internal working

## ASSET QUALITY OF SMALL FINANCE BANKS (SFB)

Gross NPA (%) ■ Mar '23 ■ Mar '24 Net NPA ■ Mar '23 ■ Mar '24



## **OPINION**

## Democracy, DeepTech and a Developed India



SHASHI SHEKHAR VEMPATI

As India wraps up the 2024 general elections, technology has taken center stage within the public discourse on an unprecedented scale. From the use of technology within campaigns to policy issues surrounding technology becoming the subject of campaigns, the 2024 elections have witnessed a nearly 360-degree focus on technology. The use of artificial intelligence to translate campaign speeches in near real-time is breaking language barriers, and the ground-breaking of multiple semiconductor manufacturing projects has placed India's technology priorities at the top of the campaign agenda.

Prime Minister Narendra Modi has been steadfast in his public messaging on a multidecadal vision powered by technology in almost all of his public appearances. His interaction between Prime Minister Modi and Microsoft founder Bill Gates offers a holistic perspective on how there is no dichotomy between the deca-

India's developmental prio-The conversation spanned a wide range of subjects from digital innovation. healthcare, education, agriculture, democratizing technology, and climate change, illustrating how the transformative power of technology fosters inclusion and addresses traditional problems through innovative thinking.

As India stands on the cusp of a new era, it is imperative for the new government to craft a visionary technology agenda that not only builds on past initiatives but also propels the nation towards a future of unparalleled innovation and resilience. This vision must align with recent global trends, leverage legislative frameworks, and anticipate future challenges. The moment calls for a comprehensive technology strategy for India, emphasising the critical areas that demand attention and innova-

Over the past decade, India has embarked on several ambitious technology initiatives that have laid a robust foundation for future advancements. The Digital India campaign, Aadhaar, and the push for financial inclusion through platforms like UPI have revolutionised the way citizens interact with technology. These initiatives have demonstrated India's capacity for large-scale digital transformation. Recent global summits such as the G20

dal technology vision and have underscored the importance of digital public goods in addressing global challenges especially of the global south. The next phase should focus on the spin-off effects from these public funded technology initiatives to result in the emergence of a whole new class of General Purpose Technologies (GPTs) for India with relevance to the global south. While much of the focus of the technology efforts have been on higher level platforms and applications there has been very little by way of development of GPTs within India that have been built ground up with the Indian context in mind. As a result most of the indigenous platforms and applications are

based almost entirely on GPTs developed outside India.

Indigenisation of GPTs is an economic imperative given the several hundred millions of dollars in costly imports apart from the resulting trade imbalance with countries like China. Systematic indigenisation of GPTs can not only save valuable foreign exchange but also build national resilience while reducing the dependency on vulnerable supply chains and non-democratic closed economies. This is apart from the opportunity to boost exports to the global south from Latin America to Africa and several of the Island nations of the global south that are most vulner-

able to climate change. To jump start this next phase of technology develop-

ment with a focus on 'Made in thousand Satcom systems in India' GPTs will require Publicprivate partnerships. A good example is the collaboration between ISRO and private space tech companies, with opening up of the space sector in India to private participation that has seen several firsts from the nascent Indian private space tech industry.

At the intersection of climate change, deep-tech, and sustainable livelihoods is the lesser-known initiative of Nabhmitra, Central to this initiative is the deployment of technology currently used by Indian Railways for locomotive tracking and the Ministry of Fisheries for monitoring small boats in deep sea. This technology, pivotal for geofencing and emergency responses, operates via ISRO's GSAT-6 satellite and is built on the indigenously developed Pruthvi 3 SDR chipset of Saankhya Labs. It has the dual capability to warn fishermen when they inadvertently cross into foreign waters and guide them safely during maritime emergencies, such as cyclones, by providing crucial direction advice. Remarkably, this technology also supports e-commerce activities for fishermen, enabling them to upload their catch directly to a website for bidding, thereby opening economic new avenues.

With Satellite communication (Satcom) poised to be a key component of 6G technology, offering always-on connectivity there is a significant opportunity for India's technology ecosystem to take a leap forward. Indigenously developed chips enabling satellite communication have been used by ISRO to deploy over hundred Bharati

critical infrastructure. These indigenously chips and communication systems developed by Indian startups have the potential to enable top global satellite operators to provide LEO and GEO terminals at a significantly reduced per-terminal through innovative designs.

A low-cost indigenously developed satcom system that is affordable by the Global South, can give the current international players a run for their money while boosting the "Designed in India" story. A similar opportunity exists to advance an indigenously developed low cost GPT for Direct to Mobile Broadcasting, D2M with applicability to markets across the Global South.

For these deep technology initiatives to succeed, a cultural change is needed in targeting public spending towards the development of GPTs. This involves moving away from the current generation of rigid public financing rules to foster a mindset of investing in high risk innovations with long gestation periods through underlying policy frameworks to facilitate the same with appropriate incentives for public-private collaborations. India's technology vision for

the next decade is ambitious yet attainable. By further evolving the Digital Public Goods strategy India has the opportunity to create a new class of indigenously developed General Purpose Technologies rooted in Indian design ethos and our democratic values for the greater global good.

The author is former CEO Prasar

अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल, क ऑफ़ इंडिया ank of India पताः ३२-बी, सेक्टर-६२, नोएडा-२०१३०७

[नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियर के प्रवर्तन के **बैंक ऑफ इंडिया, अम्बाला रोड सहारनपुर शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) व अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **उद्यारकर्ता श्री संजय मलिक पुत्र श्री गोपाल चंद्र मलिक** (उ<mark>थारकर्ता-बंधककर्ता) और श्रीमती तनुश्री मलिक पत्नी श्री संजय मलिक (सह-उथारकर्ता),</mark> खसरा सं . 19, एमपीएल सं. 6/4487, वाके दारा मिकाना, बैरून, तहसील ७ जिला- सहारनपुर यूपी-247001 र्भिपत्ति का पता) और होली चौक, सरामा बाजार, सहारनपुर यूपी-247001 (आवासीय पता) और गारेंटर-श्री पताश्र मन्ना पुत्र श्री अरबिंद मन्ना (गारेंटर-बंधककती), 10/617, होली चौक, कैस्तान मोहल्ला, सराफा बाजार, सहारनपुर यूपी-247001 और 7/1841, मोरगंज, सहारनपुर यूपी-247001

उधारकर्ता- श्री संजय मलिक पत्र श्री गोपाल चंद्र मलिक (उधारकर्ता-बंधककर्ता) और श्रीमती तनश्री मलिक **पत्नी श्री संजय मलिक (सह-उधारकर्ता), दोनों निवासीः** खसरा सं. 919, एमपीएल सं. 6/4487, वाके द्वारा मिकाना, बैरून, तहसील ७ जिला- सहारनपुर यूपी-247001 (संपत्ति का पता) और होली चौक सराफा बाजार, सहारनपुर यू.पी. - 247001 (आवासीय पता) और गारंटर- श्री पलाश मन्ना पुत्र श्री अरबिंद मन्ना (गारंटर-बंधककर्ता) 10/617, होली चौक, काइस्तान मोहल्ला, सराफा बाजार, सहारनपु यूपी-247001 **और** 7/1841, मीरगंज, सहारनपुर यूपी-247001 को मांग सुचना दिनांक **23.02.2024** को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **इ. 14,48,995.18 (इ. चौदह लाख अडतालीस हजार** नौ सौ पिच्चान्वे और पैसे अट्ठारह) दिनांक 23.02.2024 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं **अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान

कर्जदार ⁄गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार ⁄गारंटर तथ आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 31.05.2024 को लिया है।

वेशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने वे लेए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ इंडिया, अंबाला रोड सहारनपुर** शाखा, अंबाला रोड, गुठ नानक इंटर कॉलेज के सामने, जिला- सहारनपुर यूपी-24700 रेड असाराजुर क. 14,48,995.18 (ठ. चौदह लाख अडतालीस हजार नी सी पिच्चान्वे और पैसे अद्वारह) दिनांक 23.02. 2024 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकिस्मक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों वे मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

#### अचल संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश – रिहायशी भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जोवि खसरा नं. 919, एमपीएल नं. 6/4487, वाके दारा मिलकाना बैरून परगना, तहसील एवं जिला-सहारनपुर यू.पी.-247001, क्षेत्रफल 51.84 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री संजय माली पुत्र श्री गोपाल चंद्र **मलिक (उधारकर्ता-बंधककर्ता) के नाम पर है।** चौहद्दीः उत्तर में - फूल चंद का मकान, दक्षिण में - बुला का मकान, पूरब में - मास्टर जी का मकान, पश्चिम में - 8 फीट चौड़ा रास्ता

दिनांक : 31-05-2024, स्थान : नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

िक ऑफ़ इंडिया Bank of India

अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल, पताः 32-बी, सेक्टर-62, नोएडा-201307

[नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

नबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम प्रवर्तन के **बैंक ऑफ इंडिया, बुलंदशहर शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन नियमावली 2002 (2002 का 54) के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत शक्तियों वें अंतर्गत <mark>उधारकर्ता श्रीमती फरजाना बेगम पत्नी स्वर्गीय नफीस अहमद (सह-उधारकर्ता-बंधककर्ता) एवं मृतक</mark> अतरात उचारकता त्रामता फरणाना बगम पत्ना स्वगाय नफास अहमद (सह-उचारकता-बयककता) एव मृतक उचारकता स्वर्गाय नफीस अहमद पुत्र अब्दुल वहीद खान की संगति की कानूनी उत्तराधिकारी, श्री मोहम्मद सिम पुत्र स्वर्गीय नफीस अहमद, श्री मोहम्मद सिम पुत्र स्वर्गीय नफीस अहमद, श्री मोहम्मद आिर पुत्र स्वर्गीय नफीस अहमद, श्री शावेज पुत्र स्वर्गीय नफीस अहमद, श्री शावेज पुत्र स्वर्गीय नफीस अहमद, श्री शाहरुख खान पुत्र स्वर्गीय नफीस अहमद और श्रीमती फिजा पुत्री स्वर्गीय नफीस अहमद (समी मृतक उचारकर्ता स्वर्गीय नफीस अहमद (प्र अब्दुल वहीद खान की संपत्ति की कानूनी उत्तराधिकारी), मकान सं. 218, फैसलाबाद टांडा, जिला- बुलंदशहर उत्तर प्रदेश- 203001

उद्यारकर्ता श्रीमती फरजाना बेगम पत्नी स्वर्गीय नफीस अहमद (सह-उद्यारकर्ता-बंधककर्ता) एवं मृतक उचारकती त्रामती फरजानी बगम पत्नी दंगाय नफास अहमद (सह-उचारकती-बचककता) एव मृतक उचारकती स्वर्गीय नफीस अहमद पुत्र अब्दुल वहीद खान की संपत्ति की कानूनी उत्तराधिकारी, श्री मोहम्मद सिम पुत्र क्याँय नफीस अहमद, श्री मोहम्मद आिर पुत्र स्वर्गीय नफीस अहमद, श्री मोहम्मद आिर पुत्र स्वर्गीय नफीस अहमद, श्री मोहम्मद आिर पुत्र स्वर्गीय नफीस अहमद, श्री शाहरुख खान पुत्र स्वर्गीय नफीस अहमद और श्रीमती फिजा पुत्री स्वर्गीय नफीस अहमद (समी मृतक उचारकर्ता स्वर्गीय नफीस अहमद पुत्र अब्दुल वहीद खान की संपत्ति की कानूनी उत्तराधिकारी), सभी निवासी: मकान सं. 218, फैसलाबाद टांडा, जिला- बुलंदशहर उत्तर प्रदेश- 203001 को मांग सूचना दिनांक 29.01.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 5,44,396.03 (रु. पाँच लाख निवासी स्वराद २० ११ २०१४ वह स्वराद वापल स्वराद वा वैवालीस हजार तीन सौ छियान्वे और पैसे तीन) दिनांक 29.01.2024 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, **खर्चें एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति

कर्जवार./गारंटर राशि का प्रतिसुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा कर्जवार./गारंटर तथ आम जनता को सूचित किया जाता है कि अथोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनयम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल वे अन्तर्गत दिनांक 29.05.2024 को लिया है।

वेशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए धान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ इंडिया, बुलंदशहर शाखा, शर्मा इंटर कॉलेज के सामने, सिविल लाइंस (अस्पताल रोड), बुलंदशहर यूपी-203001** के प्रभार वास्ते **रु**. 5,44,396.03 (रु. पाँच लाख चौवालीस हजार तीन सी छियान्वे और पैसे तीन) दिनांक 29.01.2024 तक **और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित** के अंधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की थारा 13 की उप थारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों वे

मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान सं. 218, मोहल्ला-टांडा, जिला-बुलंदशहर उत्तर प्रदेश-203001 में स्थित, क्षेत्रफल 125.49 वर्ग मी. (पंजीकृत 20.03.1996, बही संख्या-1, जिल्ड सं. 437, पेज सं. 33-34, क्रम सं. 299) यह सम्पत्ति श्रीमतो फरजाना बेगम पत्नी स्वर्गीय **नफीस अहमद (सह–उधारकर्ता–बंधककर्ता) के नाम पर है।** चौहद्दीः उत्तर में - 12 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण में - श्री अफजल का मकान, पूरब में - हिकमत का प्लॉट, पश्चिम में - रोड़

दिनांक : 29-05-2024, स्थान : नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

वैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India

अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल, पताः 32-बी, सेक्टर-62, नोएडा-2013**0**7

[नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के **बैंक ऑफ इंडिया, बुलंदशहर शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत **उधारकर्ता एवं गारंटर – श्री मोहम्मद हासिम पुत्र श्री मोहम्मद उमर** (मैसर्स सिटी होम फर्निशिंग के प्रोप.) (उधारकर्ता), श्री मोहम्मद उमर पुत्र श्री रफीक अहमद **(गारंटर-बंधककर्ता) एवं श्रीमती अफरोर्ज निशा पत्नी श्री मोहम्मद उमर (गारंटर-बंधककर्ता),** धमेरा रोड स्तफागढ़ी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश-203001 **और** मकान सं. 983, वार्ड सं. 25, गांव-नया गांव, धमेरा रोड), परगना बरन, तहसील एवं जिला-बुलंदशहर उत्तर प्रदेश-203001

उधारकर्ता श्री मोहम्मद हासिम पुत्र श्री मोहम्मद उमर (मैसर्स सिटी होम फर्निशिंग के प्रोपराईटर) (उषारकर्ता), श्री मोहम्मद उमर पुत्र श्री रफीक अहमद (गारंटर-बंधककर्ता) और श्रीमती अफरोज निशा पत्नी श्री मोहम्मद उमर (गारंटर-बंधककर्ता), सभी निवासी धमेरा रोड, मुस्तफागढ़ी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश-203001 और मकोन सं. 983, वार्ड सं. 25, ग्राम- नया गांव, (यमेरा रोड), परगना बरन, तहसील और जिला- बुलंदशहर उत्तर प्रदेश-203001 को मांग सूचना दिनांक **20.02.2024** को जारी किया था जिसमें सचना में उल्लेखित राशि **रु. 49.17.679.72 (रु. उनचास लाख सत्रह हजार छः सौ** जनासी और पैसे बहुतर) दिनांक 20.02.2024 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य **आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित** उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भगतान करने को कहा गया था

कर्जदार ⁄गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदूद्वारा कर्जदार ⁄गारंटर तथा आम जनता को सूचित कियाँ जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 29.05.2024 को लिया है।

वेशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ इंडिया, बुलंदशहर शाखा,** शर्मा इंटर कॉलेज के सामने, सिविल लाइंस (अस्पताल रोड), बुलंदशहर यूपी-203001 के प्रभार वास्ते क 49,17,679.72 (रु. उनचास लाख सत्रह हजार छः सौ उनासी और पैसे बहत्तर) दिनांक 20.02.2024 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चें एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों

के मुक्त करने हेत उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण साम्यिक बंघक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जीकि रिहायशी सह व्यवसायिक वुकान, मकान नं.983, वार्ड सं. 25, गांव- नया गांव, (धमेरा रोड), परगना बरन, तहसील और जिला- बुलंदशहर यू.पी.-203001 क्षेत्रफल 130.08 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री मोहम्मद उमर पुत्र श्री रफीक अहमद गारंटर-बंधककर्ता) और श्रीमती अफरोज निशा पत्नी श्री मोहम्मद उमर (गारंटर-बंधककर्ता) के नाम पर है। चौहद्दीः उत्तर में - धमेरा रोड, दक्षिण में - अनिल और अन्य का मकान, पूरब में - अफरोज बेगम और गुलशन की दुकान और लॉट. पश्चिम में - गजेंद्र सिंह का मकान

दिनांक : 29-05-2024, स्थान : नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल. पताः 32-बी, सेक्टर-62, नोएडा-**2013**07

[नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के **बैंक ऑफ इंडिया, हापुड़ शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदर शिवतयो के अंतर्गत उधारकर्ता श्री वसीम पुत्र श्री इस्लामुद्दीन (उधारकर्ता), श्रीमती हाजरा बेगम पत्नी श्री इस्लामुद्दीन (सह-उधारकर्ता-बंधककर्ता) और गारंटर- श्री इकरामुद्दीन पुत्र श्री इमामुद्दीन (गारंटर)

724, नूर वफन गंज, कोटी गेट, हापुड यूपी-245101 उचारकर्ता- श्री वसीम पुत्र श्री इस्लामुद्दीन (उचारकर्ता), श्रीमती हाजरा बेगम पत्नी श्री इस्लामुद्दीन (सह-उचारकर्ता-बंधककर्ता) और गारंटर- श्री इकरामुद्दीन पुत्र श्री इमामुद्दीन (गारंटर), सभी निवासीः 24, नूर बफन गंज, कोटी गेट, हापुड यूपी-245101 को मांग सूचना दिनांक 22.02.2024 को जारी ग जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **रु. 2,20,369.56 (रु. दो लाख बीस हजार तीन सौ उनहत्तर** और पैसे छप्पन) दिनांक 22.02.2024 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक **प्रभार इत्यादि संहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा

कर्जदार/गारंटर राशि का प्रतिभगतान करने मे असफल हो गये है. इसलिए एतदद्वारा कर्जदार/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों हे इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **29.05.2024** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार 🗸 गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ इंडिया, हापुड़ शाखा,** रेलवे रोड, जवाहर गंज, हापुड़ यू.पी. – 245101 के प्रभार वास्ते रु. 2,20,369.56 (रु. दो लाख बीस हजार तीन सौ उनहत्तर और पैसे छप्पन) दिनांक 22.02.2024 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चें एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

. उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तिये के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि एमपीएल नं. 724 (पुराना नं. 58) का उत्तरी भाग, मोहल्ला- नूरवफान गंज, कोठी गेट रोड (गंज वाली मस्जिद के पास), तहसील और जिला- हापुड़ यूपी-245101, क्षेत्रफल 34.38 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती हजारा बेगम पत्नी श्री इस्लामुद्दीन (**सह-उधारकर्ता-बंधककर्ता) के नाम पर है।** चौहद्दीः उत्तर में - बिलकिस का मकान, दक्षिण में - सायरा का कान, पूरब में - 10' चौड़ा रास्ता, पश्चिम में - अन्य का मकान

दिनांक : 29-05-2024, स्थान : नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया



अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल, पताः 32-बी, सेक्टर-62, नोएडा-201307

[नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनिय के प्रवर्तन के **बैंक ऑफ इंडिया, अम्बाला रोड सहारनपुर शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथ प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत उधारकर्ता- मैसर्स अयान ट्रेडर्स- प्रोप. श्री अकरम पुत्र श्री हनीफ (उधारकर्ता-बंधकरुती), प्रकाश विहार कॉलोनी, लेबर कॉलोनी के पास, मानकमऊ और आईटीसी रोड, सहारनपुर यूपी-247001 (संपत्ति का पता) और 14/960, लोहानी सराय, बकरी चौक के पास, अंबाला रोड सहारनपुर, यूपी-247231 (आवासीय पता) और गारंटर- श्री मोहम्मद असलम पुत्र श्री अकबर अली (गारंटर-बंधककर्ता), 960, लोहानी सराय, अंबाला रोड सहारनपुर यूपी-247001, श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री नंद लाल (गारंटर-बंधककर्ता), 1433/36, चंद्र नगर सहारनपुर यूपी- 247001 और (गारंटर-बंधककर्ता) और श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री राम दिया (गारंटर-बंधककर्ता), 194, गांव- नथोड़ी, सहारनपुर यूपी-247001.

उधारकर्ता- मैसर्स अयान ट्रेडर्स- प्रोप. श्री अकरम पुत्र श्री हनीफ (उधारकर्ता-बंधककर्ता), निवासीः प्रकाश विहार कॉलोनी, लेबर कॉलोनी के पास, मानकमऊ और आईटीसी रोड, सहारनपुर यूपी-247001 (संपत्ति का पता) और 14/960, लोहानी सराय, बकरी चौक के पास, अंबाला रोड सहारनपुर, यूपी-247231 (आवासीय पता) और गारंटर- श्री मोहम्मद असलम पुत्र श्री अकबर अली (गारंटर-बंधककर्ता), निवासी 960, लोहानी सराय, अंबाला रोड सहारनपुर यूपी-247001, श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री नंद लाल (गारंटर-बंधककर्ता), निवासीः 1433/36, चंद्र नगर सहारनपुर यूपी- 247001 और श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री राम दिया (गारंटर-बंधककर्ता), 194, गांव- नथोड़ी, सहारनपुर यूपी-247001 को मांग सूचन देनांक **05.02.2024** को <mark>जारी किया</mark> था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **रु.** 30,98,709.04 **(रु. तीस** लाख अद्वान्चे हजार सात सौ नौ और पैसे चार) दिनांक 05.02.2024 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चें एवं अन्य आकिस्मक प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भगतान करने को कहा गया था

. कर्जदार ∕गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदुद्वारा कर्जदार ∕गारंटर तथ आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 31.05.2024 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने वं लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ इंडिया, अंबाला रोड सहारनपुर** शाखा, अंबाला रोड, गुरु नानक इंटर कॉलेज के सामने, जिला- सहारनपुर यूपी-247001 के प्रभार वास् **इ. 30,98,709.04 (इ. तीस लाख अद्घान्वे हजार सात सौ नौ और पैसे वार) दिनांक 05.02.2024 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चें एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के

मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश - रिहायशी / व्यवसायिक भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्रकाश विहार कॉलोनी, सहारनपुर यूपी-247231 (खसरा सं. 60/1(एम), 63 (एम) और 62/2 (एम) वाके दारा शिवपुरी, स्वाद वारून) क्षेत्रफल 3480.00 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री मोहम्मद अकरम पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ (उद्यारकर्ता-बंधककर्ता), श्री मोहम्मद असलम पुत्र श्री अकबर अली (गारंटर-बंधककर्ता), श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री नंद लाल (गारंटर-बंधककर्ता) और श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री राम दिया (गारंटर-बंधककर्ता) के नाम पर है। चीहदीः उत्तर में - अन्य का प्लॉट, दक्षिण में - विजय

कुमार का मकान, पूरब में - 15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में - सुभाष चोपड़ा की संपत्ति

दिनांक : 31-05-2024, स्थान : नोएडा

अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल, पताः 32-बी, सेक्टर-62, नोएडा-201307

[नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हिव अधिनियम के प्रवर्तन के **बैंक ऑफ इंडिया, सैक्टर-50 शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथ प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) वे अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत **उधारकर्ता श्री महमूद पुत्र श्री मोहम्मद सलाम (उधारकर्ता–बंधककर्ता**, एवं श्रीमती नगीना पत्नी श्री महमूद (सह-उधारकर्ता-बंधककर्ता), मकान सं. 56, कस्साबान डासना गेट जिला- गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201009 (आवासीय पता) और मकान सं. 78 (पुराना नं. 91) मोहल्ला- मिर्जाजान, डासना गेट, तहसील एवं जिला- गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201009 (संपत्ति पता) उधारकर्ता - श्री महमूद पुत्र श्री मोहम्मद सलाम (उधारकर्ता-बंधककर्ता) एवं श्रीमती नगीना पत्नी श्री महमूद (सह-उधारकर्ती-बंधककर्ता), दोनो निवासीः मकान सं. 56, कस्साबान डासना गेट, जिला-गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201009 (आवासीय पता) और मकान सं. 78 (पुराना नं. 91), मोहल्ला-मिर्जाजान, डासना गेट, तहसील एवं जिला- गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201009 (संपत्ति पता) को मार सूचना दिनांक 07.03.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 43,56,541.38 (रु. तैतालीस लाख छप्पन हजार पाँच सौ इकतालीस और पैसे अडतीस) दिनांक 07.03.2024 तक **और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चें एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था

कर्जदार /गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार /गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 29.05.2024 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदबारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ इंडिया. सेक्टर-50 शाखा.** वीहान कॉम्प्लेक्स, मेन चवरी रोड, सेक्टर-49, बरेला, नोएडा यूपी-201307 के प्रमार वारते 5. 43,56,541.38 (६. तैतालीस लाख छप्पन हजार पाँच सी इकतालीस और पैसे अडतीस) दिनांक 07.03. 2024 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकिस्मक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सरक्षित परिसंपत्तियं के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान सं. 78 (पुराना नं. 91), मोहल्ला-मिर्जाजान, डासना गेट, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201009 क्षेत्रफल 122.07 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्री महमूद पुत्र श्री मोहम्मद सलाम (उधारकर्ता-बंधककर्ता) एवं श्रीमती नगीना पत्नी श्री महमूद (सह-उधारकर्ता-बंधककर्ता) के नाम पर है। चौहद्दीः उत्तर में - आत्मा राम मल्होत्रा का मकान, दक्षिण में . सपी शर्मा का मकान, पूर्व में - 12.4 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम में - हंसराज तनेजा का मकान

दिनांक : 29-05-2024, स्थान : नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया



अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल, पताः 32-बी, सेक्टर-62, नोएडा-201307

[नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के **बैंक ऑफ इंडिया, सैक्टर-62 शाखा** को प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन नेयमावली 2002 (2002 का 54) के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत **उथारकर्ता - श्री परवेज खान पुत्र श्री कमर खान (उथारकर्ता-बंधककर्ता) और श्रीमती हीना खान** पत्नी श्री परवेज खान (सह-उधारकर्ता), एफ-18/एफ-2, दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद गार्डन, झिलमिल, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110095 (आवासीय पता) और प्लैट सं. के-5- 305, टॉवर-के, केडब्ल्यू श्रीस्ती, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद यूपी-201017 (संपत्ति का पता)

उधारकर्ता - श्री परवेज खान पुत्र श्री कमर खान (उधारकर्ता-बंधककर्ता) और श्रीमती हीना खान पत्नी श्री परवेज खान (सह-उधारकर्ता) दोनों निवासीः एफ-18/एफ-2, दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद गार्डन झिलमिल, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110095 (आवासीय पता) और फ्लैट नं. के-5-305, टॉवर-के, केडब्ल्यू सृष्टि, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद यूपी-201017 (संपत्ति पता) को मांग सूचना दिनांक 16.10. 2023 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 49,32,196.54 (रु. उनचास लाख बत्तीस हजार एक सौ छियान्वे और पैसे चौवन) दिनांक 16.10.2023 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चें एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान

करने को कहा गया था कर्जदार/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर तथ आम जनता को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा. उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 29.05.2024 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-62 शाखा,** बी-32, सेक्टर-62, नोएडा, यूपी- 201307 के प्रभार वास्ते रु. 49,32,196.54 (रु. उनचास लाख बलीस हजार एक सौ छियान्वे और पैसे चौवन) दिनांक 16.10.2023 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. के-305, टॉवर-के, केडब्ल्यू सृष्टि, तीसरी मंजिल (बिना छत के अधिकार के), एनएच-58, नूर नगर, राज नगर एक्सटेंशन, गाणियाबाद यूपी-201017, क्षेत्रफल 139.35 वर्ग मी., यह सम्पत्सि श्री परवेज खान पुत्र श्री कमर खान **(उंधारकर्ता-बंधककर्ता) के नाम पर है।** चौहद्दीः उत्तर में - प्रवेश द्वार, उसके बाद सीढ़ियाँ फ्लैट नं. 304, रक्षिण में - खुला, पूरब में - खुला, पश्चिम में - फ्लैट नं. 306

दिनांक : 29-05-2024, स्थान : नोएडा प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया





### SONA COMSTAR सोना बी एल डब्ल्यू प्रिसीशन फोर्जिंग्स लिमिटेड

(CIN: L27300HR1995PLC083037)

पंजीकृत कार्यालयः सोना एन्क्लेव, ग्राम बेगमपुर खटोला सेक्टर 35, गुरुग्राम-122004, हरियाणा, **दूरभाष नंबर:-** 0124 - 476 8200

ईमेल : investor@sonacomstar.com वेबसाइट: www.sonacomstar.com

सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीशन फोर्जिंग्स लिमिटेड की 28वीं वार्षिक आम बैठक और अंतिम लामांश के संबंध में सूचना

नदस्यगण ध्यान दें कि **कम्पनी की 28वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 28 जून, 2024 को दोपहर 12:00 बजे** (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कम्पनी अधिनियम, 2013 के लाग प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 और कर्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र दिनांकित 25 सितम्बर, 2023, 28 दिसम्बर, 2022, 5 मई, 2022, 14 दिसम्बर, 2021 के साथ पठित परिपत्र दिनांकित 13 जनवरी, 2021, 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 और अन्य लागू परिपत्रों, यदि कोई, के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र दिनांकित ७ अक्टूबर, २०२३, ५ जनवरी, २०२३, १३ मई, २०२२ के साथ पठित १५ जनवरी, २०२१ तथा १२ मई, २०२० (सामृहिक रूप से "परिपन्न" के रूप में संदर्भित) के अनुसार, 30 सितम्बर, 2024 तक एजीएम का आयोजन आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, कम्पनी की 28वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है तथा सदस्यगण ई-एजीएम की कार्यवाही में https://www.evoting.nsdl.com./ पर वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकेंगे। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय कम्पनी

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 28वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023—24 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां कम्पनी के उन सभी सदस्यों को केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएंगी, जिनका ईमेल पता उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार कम्पनी / डिपॉजिटरी सहभागी(यों) के पास पंजीकृत है। सदस्य ध्यान दें कि उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट <u>www.sonacomstar.com</u>, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> पर भी उपलब्ध होंगे।

सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से कम्पनी की 28वीं एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं। कम्पनी की 28वीं एजीएम में शामिल होने के अनुदेश और रिमोट ई—वोटिंग या 28वीं एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने का तरीका 28वीं एजीएम के नोटिस में दिया गया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में सदस्यों की भागीदारी की गणना की जाएगी।

सदस्य ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 30 अप्रैल, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में कम्पनी के शेयरधारकों के लिए 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के रूप में प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले कम्पनी के प्रति इक्विटी शेयर INR 1.53 (भारतीय रूपया एक और पैसे तिरेपन मात्र) के भुगतान की सिफारिश की है। कम्पनी की आगामी एजीएम में एक बार शेयरधारकों द्वारा घोषित अंतिम लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम **कट ऑफ तिथि अर्था**त शुक्रवार, 14 जून, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दिखाई देंगे। डीमैट रूप में शेयर धारण करनेवाले सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि संबंधित डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत बैंक विवरण का उपयोग सदस्यों को लाभांश के वितरण के उद्देश्य के लिए किया जाएगा। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके लिए लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चेक उनके पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने केवाईसी को हस्ताक्षरित फॉर्म ISR-1 जो कंपनी की वेबसाइट https://sonacomstar.com/investor-relations पर उपलब्ध है उपलब्ध कराकर अपने डिपॉजिटरी (जहां शेयर जाते हैं) के साथ अपडेट करें। कम्पनी अथवा आरटीए ऐसे सदस्य से बैंक विवरण में परिवर्तन / हटाने के लिए, विनिर्दिष्ट प्रपत्र प्रस्तुत करने को छोड़कर, किसी सीधे अनुरोध पर कार्यवाही नहीं करेगा।

ईमेल पतों / इलेक्ट्रॉनिक बैंक आदेश को पंजीकृत / अद्यतन करने का तरीका :

- ए) भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए ईमेल पतों को पंजीकृत / अद्यतन करने का तरीका : भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे सेबी सर्कुलर दिनांकित 16 मार्च, 2023 के अनुसार, कंपनी के आरटीए को हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 प्रदान करके इसका पंजीकरण/अद्यतनीकरण करें। सदस्य कम्पनी /आरटीए को investor@sonacomstar.com / einward.ris@kfintech.com पर भी लिख सकते हैं, साथ ही हस्ताक्षरित फॉर्म ISR-1 की प्रति के साथ फोलियो नंबर, सदस्य का नाम और पता, स्थायी खाता संख्या (पैन), ईमेल पता, मोबाइल नंबर इत्यादि सहित सभी विवरणों का उल्लेख कर सकते हैं।
- बी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट को पंजीकृत करने / अद्यतन करने का तरीका : भौतिक मोड़ में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवाओं या किसी अन्य माध्यम ('इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट'') के माध्यम से भुगतान तिथि पर सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना मैंडेट अपडेट नहीं किया है वह निम्नलिखित विवरण / दस्तावेज के साथ हस्ताक्षरित फॉर्म ISR-1 कंपनी / आरटीए को क्रमशः <u>investor@sonacomstar.com</u> / <u>einward.ris@kfintech.com</u> पर ईमेल द्वारा भेजकर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने बैंक खाते में सीधे लागांश प्राप्त करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट को पंजीकृत कर सकते हैं;
  - i) बैंक और शाखा का नाम जिसमें लाभांश प्राप्त किया जाना है तथा बैंक खाते का प्रकार ; ii) कोर बैंकिंग समाधान के कार्यान्वयन के बाद आपके बैंक द्वारा आवंटित बैंक खाता संख्या ; iii) 11 अंकों का IFSC कोड ; और पअ) यदि शेयर संयुक्त रूप से धारित हैं, तो सदस्यों या प्रथम धारक के नाम वाले रद्द किए गए चेक की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति।
- सी) अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए ईमेल पतों / इलेक्ट्रॉनिक बैंक आदेश को पंजीकृत / अद्यतन करने का तरीका : डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करके अपने ईमेल पते / इलेक्ट्रॉनिक बैंक आदेश को पंजीकृत / अपडेट करें।

वेयरधारक ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 **(आईटी अधिनियम)** में परिवर्तन के अनुसार, शेयरधारकों की लाभांश आय कर योग्य है और कंपनी को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को लाभांश का भगतान या वितरण करते समय स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करना आवश्यक है। वैध पैन वाले स्थानीय शेयरधारकों के लिए स्रोत पर 10% की दर और पैन या अमान्य पैन के बिना स्थानीय शेयरधारकों के लिए 20% की दर पर कर की कटौती की जाएगी (आईटी अधिनियम की धारा 206एएके अनुसार)। हालांकि, स्थानीय व्यक्तियों को देय लाभांश पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, यदि वित्तीय वर्ष 2022—23 के दौरान उन्हें प्राप्त होने वाला कुल लाभांश INR 5,000 से अधिक नहीं है। इसके अलावा, 10% की टीडीएस दर आईटी अधिनियम (1 जुलाई, 2021 से प्रभावी) की धारा 206एबी के प्रावधानों के अधीन है, जो आयकर रिटर्न के नॉन—फिल्टर्स के संबंध में टीडीएस के लिए विशेष प्रावधान पेश करती है। जैसा कि आईटी अधिनियम की धारा 206एबी में प्रदान किया गया है, कर की कटौती "निर्दिष्ट व्यक्तियों" को भुगतान के मामले में उच्च दरों पर की जानी आवश्यक है।

शब्द ''निर्दिष्ट व्यक्ति'', जैसा कि अधिनियम की धारा 206एबी में परिभाषित किया गया है, का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने पिछले वर्ष से ठीक पहले के दो पिछले वर्षों से संबंधित दो निर्धारण वर्षों के लिए आय की रिटर्न दाखिल नहीं की है जिसमें कर की कटौती की जानी आवश्यक है जिसके लिए धारा 139 की उप–धारा (1) के तहत आय की विवरणी दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है; और उसके मामले में स्रोत पर काटे गए कर और स्रोत पर एकत्रित कर का योग इन पिछले दो वर्षों में से प्रत्येक में आईएनएआर 50,000 रुपये या उससे अधिक है।

कोई भी पात्र शेयरधारक जो स्रोत पर कर की गैर-कटौती या लाभकारी कर दर पर कर कटौती का लाभ उठाना चाहता है,उसे **शुक्रवार, 14 जून, 2024** को या उससे पहले नीचे उल्लिखित घोषणाओं और फॉर्म को <a href="http://ris.kfintech.com/form15/forms.aspx?q=0">http://ris.kfintech.com/form15/forms.aspx?q=0</a> पर अपलोड करना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे आईटी अधिनियम और 28वीं एजीएम की सूचना देखें।

Ш	पन	क	साथ	ानवासा	
Ш	व्यन्	क्तेगत	शिय	ानवासा प्रद्धारक	
ш	- 4	_	-		

गैर–निवासी शेयरधारक\*

फॉर्म संख्या 15जी/15एच में वार्षिक घोषणा

- वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट की प्रति, जिस देश का शेयरधारक निवासी है, उसके कर अधिकारियों से प्राप्त किया गया;
- कोई स्थायी स्थापना घोषणा और लाभार्थी स्वामित्व घोषणा नहीं:
- इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र 10एफ में स्व—घोषणा;
- स्थायी खाता संख्या (पैन) की स्व–सत्यापित प्रति:
- कोई अन्य दस्तावेज जो कर संधि लाभों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक हो सकता है।

नंतुष्टि के लिए समीक्षा के अधीन होगा। शेयरधारक उपरोक्त घोषणाओं और प्रपत्रों को कम्पनी की वेबसाइट https://sonacomstar.com/investor/corporate-announcements से डाउनलोड कर सकते हैं। उपरोक्त सूचना कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए और सेबी द्वारा समय

लाभकारी कर दर का आवेदन गैर–निवासी शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता पर निर्भर करेगा और कंपनी की

तमय पर जारी परिपत्रों के अनुपालन में है। निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

सोना बी एल डब्ल्यू प्रिसीशन फोर्जिंग्स लिमिटेड अजय प्रताप सिंह

दिनांकः 03 जून, 2024 स्थानः गुरुग्राम,

गुप जनरल काउन्सिल, कम्पनी सेक्रेटरी एवं अनुपालन अधिकारी M.No. F5253














**SONA COMSTAR** 



To book your copy, call **022 24978470** or SMS reachbs to 56677 or email us at order@bsmail.in

